उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या: 104/26/प्र.स–आ.व.ग्रा.वि.
दिनांक : देहरादून, 01 जनवरी, 2001

कार्यालय ज्ञाप

विषय: वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रक्रिया का सरलीकरण

विभिन्न विकास योजनाओं एवं अन्य प्रकरणों में वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रसंग प्रस्तुत होते रहते है और अनुभवों से यह पाया गया है कि इनमें कई प्रकरणों में परिहार्य विलम्ब होता है। इस विलम्ब से जन उपयोगी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, लागत बढ़ती है और इससे जन असन्तोष बढ़ता है। जनहित में यह आवश्यक है कि वन वर्द्धन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी जिन मामलों में वन भूमि हस्तान्तरण आवश्यक है, उसमें लगने वाले विलम्ब को न्यूनतम कर दिया जाय।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की वर्तमान प्रक्रिया को निम्नवत सरलीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1– वन भूमि हस्तान्तरण के निजी एवं खनन से सम्बन्धित प्रकरण प्रमुख सचिव, वन के अनुमोदन उपरान्त नोडल अधिकारी/अपर सचिव, वन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। शेष समस्त प्रकरण नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ को सीधे प्रेषित किये जायेंगे।

2– खनन सम्बन्धी वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अपर सचिव, वन के द्वारा माननीय वन मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त सीधे औद्योगिक विकास विभाग को विज्ञप्ति जारी करने हेतु पत्रावली प्रेषित की जायेगी।

3– गैर सेवा विभागों जैसे राजकीय निगम, उपक्रम, परिषद व निजी संस्थाओं/व्यक्तियों आदि के संबंध में प्रत्येक प्रकरण को औपचारिक रूप से वित्त विभाग को भेजे बगैर वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति देते समय हस्तान्तरण आदेश में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का प्रीमियम और लीज रेन्ट की वसूल किये जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित शर्त अनिवार्य रूप से शामिल कर ली जाय, ताकि उपरोक्त लक्ष्य पूरा हो सके। इस व्यवस्था में वित्त विभाग की प्रत्येक मामले में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की आवश्यकता नहीं रहेगी और वर्तमान में लगने वाले विलम्ब से बचा जा सकेगा। अतः सेवा विभागों की भांति एक स्थाई शासनादेश भी इस आशय का जारी किया जायेगा जिससे प्रत्येक मामले में वित्त विभाग की पृथक से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस शासनादेश का संदर्भ जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

4– वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में केवल माननीय वन मंत्री जी का अनुमोदन लिया जाना ही पर्याप्त होगा।

5– वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों को निस्तारित करने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन के अन्तर्गत पदेन अपर सचिव, वन नियुक्त किया जाता है। अपर सचिव, वन वन भूमि हस्तान्तरण के ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के सेवा विभागों, गैर सेवा विभागों, विभिन्न उपक्रमों/निगमों/परिषद आदि से सम्बन्धित होंगे, उन्हें माननीय वन मंत्री जी के निजी संस्थाओं/व्यक्तियों के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव सीधे प्रमुख सचिव, वन को भेजेंगे जो अपने स्तर से माननीय वन मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रत्येक स्तर पर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आर० एस० टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या : 104(1)/26/प्र.स.–आ.व.ग्रा.वि. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा० वन मंत्री जी को मा० वन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, सी. जी. ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
4. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) बी–1/72, सैक्टर के, अलीगंज, लखनऊ।
5. समस्त सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल प्रदेश, नैनीताल।

7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल शासन।
8. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल प्रदेश।

आर.एस.टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त